

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
128 / 2025

दायर दिनांक  
06.03.2025

निर्णय दिनांक  
०५-०५-२०२५

1. श्री कालु आत्मज स्व. श्री लाला खारोल निवासी चौपडों का खेडा, रिछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्रीमती पारसी देवी पत्नी कालुलाल खारोल निवासी चौपडों का खेडा, रिछडा तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. अलोली नगजी खारोल, निवासी रिछडा, तहसील व जिला भीलवाडा।
2. कालु आत्मज स्व. श्री लाला खारोल निवासी चौपडों का खेडा, रिछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. खानी पुत्री हजारी खारोल, निवासी रिछडा, तहसील व जिला भीलवाडा।
4. गोपाल नगजी खारोल, निवासी रिछडा, तहसील व जिला भीलवाडा।
5. गोपी पुत्री हजारी खारोल, निवासी रिछडा, तहसील व जिला भीलवाडा।
6. दुदा पुत्र उंकार खारोल, निवासी रिछडा, तहसील व जिला भीलवाडा।
7. देबी पुत्र उंकार खारोल, निवासी रिछडा, तहसील व जिला भीलवाडा।
8. फेफी पत्नी उंकार खारोल, निवासी रिछडा, तहसील व जिला भीलवाडा।
9. मांगी पुत्री नगजी खारोल, निवासी रिछडा, तहसील व जिला भीलवाडा।
10. मोती पुत्र उंकार खारोल निवासी रिछडा, तहसील व जिला भीलवाडा।
11. रूपा पुत्रा प्रताप खारोल, निवासी रिछडा, तहसील व जिला भीलवाडा।
12. रामलाल पुत्र प्रताप खारोल, निवासी रिछडा, तहसील व जिला भीलवाडा।
13. लाडु पत्नी स्व. हजारी खारोल, निवासी रिछडा, तहसील व जिला भीलवाडा।
14. सीताराम पुत्र लाला खारोल, निवासी रिछडा, तहसील व जिला भीलवाडा।
15. सोहनी पुत्री हजारी खारोल, निवासी रिछडा, तहसील व जिला भीलवाडा।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज)।

— विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री केदार वैष्णव उपस्थित।

अप्रार्थी संख्या 01 से लगाकर 15 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

—: निर्णय :-

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रीछडा पटवार हल्का रीछडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद में हम प्रार्थीगण की कृषि आराजियात स्थित है जिसका विवरण आराजी संख्या 1210/2 रकबा 0.2276 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1211 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1212/2 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1213 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1214 रकबा 0.0885 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 0.8978 हैक्टेयर भूमि स्थित है।


प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 15 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंनें पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम रीछडा पटवार हल्का रीछडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद में हम प्रार्थीगण की कृषि आराजियात स्थित है जिसका विवरण आराजी संख्या 1210/2 रकबा 0.2276 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1211 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1212/2 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1213 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1214 रकबा 0.0885 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 0.8978 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(दिव्यराज उपखण्ड अधिकारी)  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा